**श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर स्थित त्रिलोकपुर की दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर – 2026 से सम्बन्धित आयोजित बैठक की कार्यवाही**

दिनांक 12 फरवरी 2026 को मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की बैठक माननीय आयुक्त मन्दिर न्यास एवम उपायुक्त सिरमौर श्रीमति प्रियंका वर्मा, भा.प्र.से. की अध्यक्षता मे प्रातः 11 बजे यात्री निवास बैठक कक्ष स्थित त्रिलोकपुर में आयोजित की गई। उक्त बैठक में मन्दिर न्यास के कुल 36 अधिकारी तथा मन्दिर न्यासी उपस्थित रहे, अतः हि.प्र.हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के नियम 18(6) अनुसार वांछित कोरम पूरा रहा । उपस्थित न्यासियों की सूची संलग्न है।

**<u>सर्वप्रथम श्री राजीव सांख्यान (हि.प्र.से.) एस.डी.एम.नाहन एवम् सयुंक्त आयुक्त मन्दिर</u>** द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त सभी अधिकारियो तथा न्यासियों का स्वागत किया गया तथा निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर चैत्र नवरात्र मेला **चैत्र 19 मार्च 2026 से 02 अप्रैल 2026** तक मनाया जाना है। अष्टमी पर्व दिनांक 26 मार्च 2026 अप्रैल तथा चौदस पर्व दिनांक 01 अप्रैल 2026 को है। उक्त मेला में लाखों यात्रियों के आवागमन की सम्भावना रहती है अतः मेला के कुशल संचालन तथा मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं व सुरक्षा की दृष्टि से मदवार चर्चा हेतु प्रस्तुत की गई

| क्रम संख्या | मद विवरण | प्रस्ताव | सम्बन्धित विभाग अथवा अधिकारी | Decision |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **कानून व्यवस्था एवम् सुरक्षा** | चैत्र नवरात्र मेला के दौरान हिमाचल के साथ लगते राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं जिसमें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 200गृह रक्षक जिनमें 175 पुरूष एवं 25 महिला गृह रक्षक तैनात करने चर्चा हेतु प्रस्तुत। यदि गृह रक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो सुरक्षा हेतु निजि सुरक्षा एजेन्सी की सेवाएं लेनी भी प्रस्तावित की गई। उक्त मद बारे बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा तथा गृह रक्षा विभाग की ओर से उपस्थित कम्पनी कमाण्डर ने अवगत करवाया कि उनका विभाग केवल 150 गृह रक्षक ही उपलब्ध करवा | Temple Officer<br>S.P.Sirmour<br>Commdtt. HG | |

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सकता है जिसमें 125 पुरुष तथा 25 महिला गृह रक्षक होंगें। बैठक में उपस्थित गैर सरकारी सदस्य श्री सुरेश कुमार के परामर्श अनुसार निजि सुरक्षा कर्मियों की डियुटि पुलिस/गृह रक्षकों के साथ लगवाई जाएं ताकि निजि सुरक्षा कर्मियों पर सही तरीके से नियंत्रण रहे। इसके अतिरिक्त गृह रक्षा की ओर से एक फायर ब्रिगेड वाहन स्टॉफ सहित उपलब्ध करवाने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए।<br><br>बैठक में उपस्थित थाना प्रभारी त्रिलोकपुर ने भीड़ को नियन्त्रित करने बारे अनुरोध किया कि मन्दिर के दर्शनों हेतु खुलने का समय प्रातः 2 बजे या भीड़ को देखते हुए पुलिस की सलाह अनुसार निर्धारित किया जाए जिसे स्वीकार कर लिया गया। | | |
| 2 | मेला अधिकारियों व मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट की अस्थाई नियुक्ति। | एस.डी.एम.नाहन को मुख्य मेला अधिकारी, तहसीलदार नाहन को मेला अधिकारी व मेला पुलिस अधिकारी हेतु डी.एस.पी. नाहन की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया मेला क्षेत्र को चार सेक्टर में विभाजित करने तथा इस कार्य हेतु चार राजस्व अधिकारियों को अस्थाई आधार पर मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करना प्रस्तावित किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ। | DM Sirmour | |
| 3 | आग्नेय–शस्त्रों विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबन्ध। | आग्नेय–शस्त्रों ,विस्फोटक सामग्री को मेला क्षेत्र में लाना ,मेला क्षेत्र में मद्यपान प्रतिबन्ध तथा मन्दिर के प्रवेश द्वार पर मैटल डिटेक्टर की स्थापना करना भी प्रस्तावित की गई जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा उचित निर्देश उपरान्त अनुमोदित किया गया। | DM Sirmour / SP Sirmour | |
| 4 | यातायात नियन्त्रण एवम् मार्ग मुरम्मत कार्य | 1. मेला अवधी के दौरान त्रिलोकपुर पधारने वाले वाहनों का आवागमन अत्यधिक बढ़ जाता है जबकि उक्त मार्ग पर औद्योगिक ईकाइयॉं होने के कारण पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक है ऐसे में Traffic Police के माध्यम से निरन्तर गश्त करने व अनाधिकृत वाहन पार्किंग पर नियन्त्रण प्रस्तावित किए गए। | SP Sirmour<br>Mela Police Officer cum DSP and SHO Kala Amb | |

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. मेला पुलिस अधिकारी को कालाअम्ब से मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर तक एक टैक्सी वाहन , तीन वाहन सात सीटर श्रद्धालुओं हेतु तथा एक वाहन मेला मैजिस्ट्रेट हेतु मन्दिर न्यास की ओर से प्रस्तावित किए गए।<br>3. कालाअम्ब –त्रिलोकपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्व मेला की तरह प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक तथा स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों आवागमन प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध भी प्रस्तावित किए गए।<br>4. यातायात नियन्त्रण हेतु वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था के लिये रुचीरा पेपर मिल्स के सामने के मार्ग , खैरी से टोकासाहिब मार्ग ।<br>5. पूर्व मेला की तरह विशेष परिस्थिति तथा दिव्यांग/वरिष्ट वृद्धजनों आदि हेतु केवल बाई पास मार्ग से वाहन ले जाने की स्वीकृति हेतु मौका मैजिस्ट्रेट प्राधिकृत होंगें।<br>6. त्रिलोकपुर की ओर जाने वाले समस्त मार्गो की तुरन्त आवश्यक मुरम्मत प्रस्तावित किए गए।<br>उपरोक्त समस्त मदों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदन देने पर सहमति जताई गई तथा लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मार्ग मुरम्मत कार्य समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए। | XEN /SDO PWD | |
| 5 | गुमशुदा एवम् पूछताछ कक्ष की स्थापना | मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण बिछड़े यात्रियों के बच्चों ,वृद्धजनों व महिलाओं आदि हेतु एक गुमशुदा एवम् पूछताछ तलाश केन्द्र की स्थापना व विडियोग्राफी व पब्लिक एडरेस सिस्टम सहित प्रस्तावित किया गया जिसमें जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। | DPRO Sirmour | |

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | मेले के दौरान डियुटी पर तैनात कर्मचारियों के ठहरने व खान पान की सुविधा। | 1 मेले के दौरान ठहरने की सुनियोजित व्यवस्था हेतु मन्दिर अधिकारी तथा सहायक प्रबन्धक मन्दिर प्रभारी को प्राधिकृत करना प्रस्तावित किया गया न्यास के भवनों के अतिरिक्त त्रिलोकपुर स्थित निजि धर्मशालाओं से लिये गये कक्षों का मेला डियुटि कर्मचारियों हेतु उचित आबंटन मेला से पूर्व सुनिश्चित करना भी प्रस्तावित किया गया।<br><br>2 पूर्व मेला की तरह विभागीय स्तर पर 600 कर्मचारियों हेतु कैन्टीन की व्यवस्था रखी जानी प्रस्तावित किया गया। यह भी अवगत करवाया गया कि पूर्व कई मेलों से यह कैन्टीन दानी सज्जन गैलेक्सी राईस मिल्स के सहयोग से चल रही है जिसमें नाश्ता, दिन व रात का भोजन न्यास के भण्डारा हॉल में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डियुटि मैजिस्टेट व मेला पुलिस अधिकारियों जिनकी 24 घण्टे मेला क्षेत्र में तैनाती रहती है की सुविधा के लिए यात्री निवास स्थित कैन्टीन के मार्फत खान पीन की सुविधा उपलब्ध करवानी प्रस्तावित की गई। उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त सहायक अभियंता एवम् प्रभारी मन्दिर न्यास ने अवगत करवाया कि उपरोक्त गैलेक्सी राईस मिल्स के संचालक से व्यवस्था बारे चर्चा हो चुकी है जिस पर सहायक अभियंता एवम् प्रभारी मन्दिर न्यास को निर्देश दिए गए कि वह उक्त व्यस्था के लिए प्राधिकृत हैं और उचित प्रबन्धन रखना सुनिश्चित करें। | Temple Officer & AM TTT | |
| 7 | स्वास्थ्य व्यवस्था | प्रस्तावित किया गया कि मेला क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के साथ–2 दो प्राथमिक चिकित्सा बूथ तथा आवश्यक स्टॉफ | CMO Sirmour and District Ayush Adhikari | |

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | लोगों की सेवा हेतु उपलब्ध करवाएं। उपरोक्त के अतिरिक्त मेला क्षेत्र में 24 घंण्टे तुरन्त चिकित्सा सुविधा के लिए पूर्व मेलों की तरह एम्ब्युलेंस तैनात करनी भी प्रस्तावित जिसमें मन्दिर न्यास की तरफ से एक रेड क्रास अम्ब्युलेंस भी चालक सहित उपलब्ध रहेगी।<br><br>इस संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी ने मेले के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा उचित प्रबन्ध करने का आवश्वासन दिया गया। दवाईयों के क्रय हेतु संयुक्त आयुक्त मन्दिर ने आवश्यकता अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी को 75000रु प्रति विभाग को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी के कार्यालय बैंक खाते में निर्गत किया जाएगा तथा जिस हेतु दोनों अधिकारी मेला उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें | | |
| 8 | खाद्य सुरक्षा एवम् गुणवत्ता तथा मापतोल नियन्त्रण। | मेले के दौरान डी.एफ.एस.सी के नियनत्रण में खाद्य सुरक्षा एवम् गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाना प्रस्तावित है ताकि मेला क्षेत्र में खाने–पीने ,फल ,दुग्ध विक्रेताओं तथा मिठाई व प्रसाद की गुणवत्ता बनी रहे।? उक्त मद पर चर्चा के दौरान उचित निर्देश दिए गए हैं। | DFSC/ Food Safety Officer | |
| 9 | सफाई व्यवस्था | अवगत करवाया गया कि मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है तथा लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं अतः सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था जरुरी है जिसके लिए स्वीपर, सफाई सामग्री,कूड़ादान तथा कूड़ा वाहन सहित ठेके पर दिया जाना है। इस पर निर्णय लिया गया कि तथा उक्त व्यवस्था को | SDO Temple | |

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नियन्त्रित करनें हेतु सहायक अभियंता की अध्यक्षता में सुपरवाईजर तथा दो गैर सरकारी न्यासी की समिति गठित करने के निर्देश दिए गए और ठेकेदार को अन्तिम भुगतान से पहले उक्त समिति का सन्तोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। | | |
| 10 | पीने के पानी की सुविधा | इस बारे चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि मेला क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा नियमित जल आपूर्ति करनी होगी तथा यदि मांग बढ़ती हैं तो न्यास द्वारा टैंकर सुविधा के लिए निविदा के माध्यम से निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा टैंकर उपलब्ध करवाए जाएंगें। पेयजल वितरित करने हेतु अस्थाई श्रमिकों का प्रबन्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया ताकि लाईनों में खड़े श्रद्धालुओं को, मेला क्षेत्र,भण्डारा व्यवस्था, बाईपास मार्ग व पार्किंग क्षेत्र में हर समय पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त धूल मिटटी से बचाव हेतु जल का छिड़काव भी किया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । | SDO Temple Trust / XEN Jal Shakti | |
| 11 | मन्दिर एवम् मेला क्षेत्र का साज सज्जा एवम् विद्युतीकरण । | न्यास द्वारा मेले के दौरान दी गई अस्थाई दुकानों हेतु बिजली आपूर्ति ठेकेदार द्वारा करवाने हेतु निविदा आमन्त्रित करना प्रस्तावित किया गया जिस पर अध्यक्ष द्वारा पूछा गया किया न्यास द्वारा कुल कितनी अस्थाई दुकानों को बिजली प्रदान की जाती है जिस पर सहायक अभियंता न्यास द्वारा सूचित किया कि लगभग 350 अस्थाई दुकानें होती है जिसमें से 70 दुकानें मन्दिर की तथा शेष निजि होती हैं। इस हेतु न्यास केवल बिजली की दरों का निर्धारण करता है जिसका भुगतान ठेकेदार को सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा स्वयं किया जाता है। | SDO Temple & Incharge Temple for Temple campus & premises | |

Joint Commissioner (Temple) cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | यह भी निर्णय लिया कि जिस भी ठेकेदार को उक्त ठेका आबंटित होगा उसे न्यास के समस्त भवनों व मन्दिरों में डेकोरेटिव लाईटों को निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा। | | |
| 12 | मन्दिर परिसर हेतु अस्थाई श्रमिकों को तैनात करने | मेला क्षेत्र में भीड़ नियन्त्रण ,परिसर में निरन्तर दिन रात सफाई कार्य , कैन्टीन आदि हेतु ,सिविल एजेन्सी/मेला क्षेत्र हेतु यथा आवश्यक अस्थाई श्रमिक तीन शिफटों में तैनात किए जाने हैं जिस हेतु यह कार्य ठेके पर करवाया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त आश्य हेतु मन्दिर प्रभारी सहायक अभियंता को प्राधिकृत किया गया जो कि श्रमिकों को नियुक्त करने से पूर्व उनकी आयु,चरित्र तथा पता सुनिश्चित करेंगें। | Temple Officer & AM Temple | |
| 13 | नगदी गणना | प्रस्तावित किया गया कि मेले के दौरान प्रतिदिन नगदी गणना करना आवश्यक है ताकि दैनिक तौर पर गणना सुनिश्चित की जा सके जिसके लिए लगभग 10 सरकारी कर्मचारी तैनात किए जाने हैं। संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि गणना कक्ष पूर्ण रुप से पारदर्शी है तथा सम्पूर्ण परिसर में 200 से अधिक सी.सी.टी.वी.कैमरे स्थापित हैं।<br>चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गणना कर्मचारियों की नियुक्ति व समय निर्धारण हेतु संयुक्त आयुक्त मन्दिर उचित आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। | Temple Officer AC(F&A) | |
| 14 | परिवहन सुविधा | मेल में पधारने वाले श्रद्धालुओं की यातायात सुविधा हेतु अधिक से अधिक बसें लगवाया जाना प्रस्तावित किया गया जिस पर उप मण्डल प्रबन्धक एच.आर.टी. सी. ने सुनिश्चित किया कि इस हेतु बसों का उचित प्रबन्धन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा बताया गया कि हरियाणा के पड़ोसी | RM HRTC | |

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए डी.एम.के साथ भी पत्राचार किया जाएगा। | | |
| 15 | वाहन पार्किंग | मन्दिर न्यास के पास हिमुडा से ली गई लगभग 87 बीघा भूमि उपलब्ध है जिस पर पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। प्रस्तावित किया गया कि इस बार ट्रक /ट्रेक्टर/कार तथा मोटर साईकल सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग उक्त भूमि पर ही करवाई जाए तथा उक्त कार्य हेतु खुली बोली /Open Auction के माध्यम से पार्किंग का ठेका दिया जाए इसके अतिरिक्त यदि न्यास की पार्किंग पर्याप्त नही होती है तो स्थानीय भू स्वामी अपने जोखिम पर निजि भूमि को वाहनों की पार्किंग के लिए अपने स्तर पर दे सकते हैं जिसका शुल्क वह स्वयम् सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बारे यह भी प्रस्तावित किया गया कि पाकिंग क्षेत्र में आवश्यक्त अनुसार सी.सी.टी.वी कैमरें पार्किंग ठेकेदार द्वारा ही लगवाना सुनिश्चित किया जाएगा ।<br><br>चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त मद का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग के रेट अधिसूचित करने के लिए संयुक्त आयुक्त मन्दिर न्यास को प्राधिकृत किया जाता है। | SDO Temple<br>AM Temple<br>Pradhan GP | |
| 16 | दंगल का आयोजन। | दंगल करवाने बारे निर्णय लिया गया कि इसका आयोजन चौदस के दिन किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु दंगल का आनन्द ले सकें क्योंकि पूर्णिमा के दिन भीड़ कम हो जाती है। दंगल के आयोजन हेतु दो लाख रु की राशि अग्रिम रुप से जिला खेल अधिकारी को दी जाए जिसका लेखा जोखा व उपयोगिता प्रमाण पत्र मेले के समापन के 15 दिन के भीतर जिला खेल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करना होगा। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि दंगल आयोजन बारे व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। | District Sports Officer and Temple Officer and AM Temple | |

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | पहाड़ी वाद्यदलों की स्वैच्छिक सेवाओं बारे | बैठक में गैर सरकारी न्यासियों द्वारा चर्चा की गई कि मेले के दौरान वाद्यदलों को दान में भरपूर राशि श्रद्धालुओं द्वारा दी जाती है अतः उन्की सेवाओं को स्वैच्छिक रखा जाए जिसके बाद संयुक्त आयुक्त मन्दिर न्यास ने बताया कि न्यास केवल उनके लिए शिव मन्दिर के सामने स्थान उपलब्ध करवा सकता है और उन्हे किसी भी प्रकार का मानदेय व यात्रा भत्ता देना उचित नही है। चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मेले में पहाड़ी वाद्यदलों की स्वैच्छिक सेवाएं ही रखी जाएं जिसमें वे अपने खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था अपने स्तर पर करेंगें। | DLO Nahan | |
| 18 | झूले स्थापित करवाने बारे | संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि शिव मन्दिर के सामने खाली भूमि पर झुले स्थापित करवाने हेतु स्वीकृति दी जाए जिसे नीलामी के आधार पर ठेके दिया जाना है जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया । | Temple Officer | |
| 19 | मन्दिर गर्भ प्रवेश पर लगी चेन बारे चर्चा। | संयुक्त आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 25.09.2023 को आयोजित आश्विन नवरात्र मेला की बैठक में मद संख्या 22(3)के निर्णय की अनुपालना में पत्र संख्या 2970 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा कुछ दिनों के लिए चेन लगाई गई थी जिसे वांछित व्यवस्था सुनिश्चित करने के कुछ दिनों बाद हटवा दिया गया था। न्यास के ध्यान में लाया जाता है कि उक्त चेन की स्थापना के बाद से अधिवक्ता श्री भूषण अग्रवाल निवासी गोहाना, सोनीपत ,हरियाणा द्वारा निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है कि मुख्य मन्दिर गर्भ गृह में प्रशासन द्वारा अपनी मर्जी से चेन लगा दी गई है जिसे हटवाया जाए। गर्भ गृह की पवित्रता को ध्यान में रख कर यह चेन स्थापित करवाई गई थी जिसके पश्चात गर्भ गृह में केवल न्यास के पुजारीगण तथा कहार और मुख्य भगत परिवार के पुजारियों का पूजा कार्य हेतु प्रवेश स्वीकृत था। न्यास के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तावित किया है कि क्या मुख्य मन्दिर में प्रवेश सार्वजनिक दर्शनों हेतु खोल दिया जाए। चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार, श्री धीरज राणा , श्री धर्मपाल ,श्री भुपिन्द्र श्री महेष कुमार सहित | Temple Officer and AM Temple | |

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | श्री दलबीर सिंह ने माना कि प्रशासन द्वारा चेन हटा दी गई है फिर भी गर्भ गृह में सार्वजनिक प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबन्धित रखा जाए ताकि मन्दिर की शुचिता बनी रहे। इसके अतिरिक्त उन्होने जोर दिया कि पारम्परिक कई वर्षों से गर्भ गृह में स्थापित माता की पिण्डी के आस पास सफाई व साज सज्जा का कार्य मेहता परिवार द्वारा किया जाता था अतः उन्हे भी गर्भ गृह में प्रवेश दिया जाए। मेहता परिवार के मामले में अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया कि उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मामले को देखने के पश्चात इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। | | |
| 20 | अन्य | 1. संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मन्दिर परिसर में पटवार भवन को हिमुडा भूमि के पास स्थानांतरित किया जाना उचित होगा जिस पर सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई और अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि इस बारे उचित पत्राचार एवम् अन्य औपचारिकताएं शीघ्र सुनिश्चित की जाएं।<br>2. मन्दिर न्यासियों द्वारा प्रस्तावित किया गया कि हाल ही में शिव मन्दिर तालाब में संचालित नौका विहार की दरें अधिक हैं जिसे श्रद्धालु इसका उचित लाभ नही उठा पा रहे हैं अतः उक्त दरों 125 रु से घटाकर 100रु प्रति व्यक्ति तथा पूर्ण नाव की बुकिंग 300 रु की रखी जाए। उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । | Tehsildar Nahan<br><br>Joint Commissioner Temple | |

बैठक के अन्त में अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि इस मेले में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है अतः बैठक में लिए गए निर्णय जिस-2 विभाग से सम्बन्धित हैं उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि मेले का आयोजन सफलता पूर्वक किया जा सके।

(प्रियंका वर्मा)भा.प्र.से.
उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ।

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

क्रमांक–त्रि.म.न्यास / बैठक– / 2026-439 दिनांक 17-02-2026

प्रतिलिपि सेवा में,

1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

2.निदेशक एवम् अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मन्दिर, भाषा, कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।

3.एस.डी.एम.नाहन एवम् सहायक आयुक्त मन्दिर व समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथा निर्णय अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.तहसीलदार नाहन मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.गार्ड फाईल

उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर।